#### // DECLARATION FORM //

While seeking admission in Autonomous State Medical College, Kushinagar, I hereby declare that the records and documents which have been submitted by me to your office are true to the best of my knowledge. In case any of my documents submitted by me are found false or forged, my admission may be cancelled and I will have no right to claim for the refund of fees deposited by me.

I shall abide by the directives regarding the discipline and am also prepared to pay the fee if and when it is revised by the Govt. of U.P.

Signature:		
Full Name of Student :		
Full Address:- (Correspondence)	Full Address:- (Permanent)	

## Anti-Ragging Affidavit (Guardian)

छात्र का पूरा नाम उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या संहित)	<b>1.</b> श्री/श्रीमती/सुश्री				. (माता-पिता/अभिभाव	वक का पूरा नाम,
2. मैंने विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इन बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है। 3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 91 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरुक हूं के यदि मेरी संतान िंग की अथवा रिगेंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया / पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के ाइयन्त्र का एक हिस्सा होता / होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही का वह सागीदार होगा / होगी वह मेरे संज्ञान में है। 4. मैं एतद्वारा सत्यिनष्ठा रूप से प्रमाणित करता / करती हूं एवं आश्वासन देता / देती हूं कि  (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिम नही होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग गाना गया है। (ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलकृक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिम होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी हा उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे दिनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।  5. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/ जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9 के अनुसार दण्ड की भागीदारी होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के विना होगा तथा जो एष्ट मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी उप्य कानून के अनुसार होगा।  5. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान इस देष में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषा अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा पड़यंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण प्रव्या स्थाय होने कि अथवा पड़यंत्र का एक हिस्से के रूप यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को देया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।  शेषित किया गया  दिन	(छात्र का पूरा नाम उसके प्रवे माता-पिता/अभिभावक जिसवे उच्च शैक्षिक संस्थानों 2009 मे	ाश/पंजीकरण/नामांकन के छात्र को स्वशासी न में रैगिंग के जोखिम प	न संख्या संहित) राज्य चिकित्सा मः र नियन्त्रण लगाने	 हाविद्यालय, कुशीनग् से सम्बद्ध यूजीसी र्	 गर उ0प्र0 में प्रवेश दिय विनियमों (जो आगे से	के या गया है, इसने विनियम के नाम
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 91 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरुक हूं के यदि मेरी संतान रिंगें की अथवा रिगेंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया / पाई जाती है अथवा रैगेंग को बढ़ावा देने के । इयन्त्र का एक हिस्सा होता / होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही का वह नागीदार होगा / होगी वह मेरे संज्ञान में है।  1. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा रूप से प्रमाणित करता / करती हूं एवं आध्वासन देता / देती हूं कि  (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नही होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग ताना गया है।  3. पत्र हुए मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ता ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।  4. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/ जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 91 के अनुसार दण्ड की भागीदारी होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के विना होगा तथा जो एण्ड मेरी संतान के विरुद्ध के किसी भी उप्त करने के अनुसार होगा।  5. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान इस देष में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निप्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा में यह भी पृष्टि करता हूँ, कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को देया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।  सेषित किया गया वित्त कर दिया जाएगा।  सेषित किया गया है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अप असत्य नहीं है तथा परापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अप असत्य नहीं है तथा परापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अप असत्य नहीं है तथा परापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अप असत्य नहीं है तथा पराप्त के स्वांगी स्वांगी स्वांगी स्वांगी स्वांगी स्वांगी स	पर कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक	पढ़ लिया है तथा इन	विनियमों में समा	विष्ट प्रावधानों को पृ	र्री तरह समझ लिया है	है।
िगंग की अथवा रिगंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया / पाई जाती है अथवा रैगेंग को बढ़ावा देने के ।डयन्त्र का एक हिस्सा होता / होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही का वह नागीदार होगा / होगी वह मेरे संज्ञान में है।  1. मैं एतद्वारा सत्यिनिष्ठा रूप से प्रमाणित करता / करती हूं एवं आश्वासन देता / देती हूं कि  (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नही होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग ताना गया है।  (ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ता ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।  5. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/ जाता है तो वह इन विनियमों की शरा 91 के अनुसार दण्ड के भिगानीदारी होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो रण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान मे लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।  5. एतदद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान इस देप में विद्यान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा पडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निप्तत करता है है / हुआ है तथा में यह भी पुष्टि करता हूँ, कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को देया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।  बोषित किया गया दिन	2. मैंने विशिष्ट रूप से इन विनि	नेयमों का अवलोकन	किया है तथा मुझे	इन बात की जानका	री है कि रैगिंग में क्या	बात शामिल है।
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग साना गया है। (ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी हो उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।  5. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/ जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 91 के अनुसार दण्ड की भागीदारी होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो रण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान मे लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।  5. एतद्ब्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान इस देष में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा पडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा में यह भी पृष्टि करता हूँ, कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को देया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।  शोषित किया गया  देन	रैगिंग की अथवा रगिंग में सह षडयन्त्र का एक हिस्सा होत	ायक होने की सक्रिय ा / होती है तो उस	अथवा छिपे तौर से	ा दोषी पाया / पाई ः	जाती है अथवा रैगिंग	को बढ़ावा देने के
(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ता ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।  5. एतद्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/ जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 91 के अनुसार दण्ड की भागीदारी होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो उप्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।  5. एतद्द्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान इस देष में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण अथवा त्र प्रोत्साहित करने के दोष के कारण अथवा त्र प्रोत्साहित करने के दोष के कारण अथवा त्र प्रोत्साहित करने के दोष के विद्या गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।  शेषित किया गया दिन	<b>(क)</b> मेरी संतान ऐरे					के अंतर्गत रैगिंग
प्रारा 91 के अनुसार दण्ड की भागीदारी होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो रण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।  5. एतद्द्वारा में यह घोषित करता/करती हूं कि यदि मेरी संतान इस देष में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा में यह भी पृष्टि करता हूँ, कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को देया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।  शेषित किया गया दिनमाह वर्ष	<b>(ख)</b> मेरी संतान जा					में सहायक होगी
अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा में यह भी पुष्टि करता हूँ, कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को देया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। शेषित किया गया दिनमाहयर्षवर्ष शपथकर्ता के हस्ताक्षर नाम पता दूरभाष नं०	धारा 91 के अनुसार दण्ड की	भागीदारी होगा / हो	गी जो कि किसी भ	ो अन्य आपराधिक <sup>ः</sup>	कृत्य के पूर्वाग्रह के बिन	ना होगा तथा जो
शपथकर्ता के हस्ताक्षर नाम पता दूरभाष नं० तत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वागीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अष असत्य नहीं है तथा	अथवा उसमें सहायक होने कि कारण निष्कासित नहीं हुई है	, अथवा षडयंत्र का ए / हुआ है तथा में यह १	क हिस्से के रूप से	दोषी होने के कारण	। अथवा उसे प्रोत्साहित	। करने के दोष के
<b>नाम</b> पता <b>दूरभाष नं०</b> तत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वागीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अष असत्य नहीं है तथा	घोषित किया गया दि	देन	.माह व	ર્ષ		
<b>दूरभाष नं०</b> तत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वागीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अष असत्य नहीं है तथा					नाम	क्षर
रतम भावत भार मा नात मा त्या है असर मा है असर मा है। अने वास है।					इसका कोई भी अष अ	सत्य नहीं है तथा
नत्यापित (स्थान)	सत्यापित (स्थान)	देन	माह	वर्ष		

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

## **Anti-Ragging Affidavit (Student)**

<b>1.</b> मैंशी/सुपुत्र/पुत्री	(प्रवेश/पंजीकरण/पावन संख्या सहित छात्र का पूरा नाम) एवं श्रीमती/सश्री
जिसे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर	र उ०प्रo 2025  में प्रवेश दिया गया है. उसने उच्च शैक्षिक ो विनियमों की प्रति प्राप्त की है जो इसके आगे से विनियम
2. मैंने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्या कौन सी बातें सम्मिलित है।	नपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग मे
के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की पाया जाता हू अथवा रैगिंग को सिक्रय अथवा छिपे तौर दोषी पाया जाता हूँ।  4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ट रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिष्ट अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।  (ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के	त नहीं होऊंगा / होऊंगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के काम में न तो भाग लूंगा/लूंगी न ही उसके षडयंत्र में अथवा
<ul><li>5. मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि यदि मैं व</li><li>9.1 के अनुसार बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐं</li></ul>	वेनियमों की धारा 3के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है। दोषी पाया जाता / जाती हूं तो वह इन विनियमों की धारा सी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ। जो कि किसी कि अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा
प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग ले	ान किसी भी संस्थान ने मुझे रैगिंग के षड़यंत्र में अथवा उसे ाने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया भी प्रमाणित करता / करती हूं कि यदि की गई यह घोषणा ांश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।
घोषित किया गया दिनमाहमाह	वर्षवर्ष
	शपथकर्ता के हस्ताक्षर नाम पता दूरभाष नं०
सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान विहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गर्य	में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य ो है और ना ही मिथ्याजनक कही गयी है।
सत्यापित (स्थान) दिनमाहमाह	वर्ष

#### **Il Guardian Oath Letter Il**

मैं.	(माता–पिता ∕ अभिभावक का पूरा नाम) मेरा पुत्र ∕ पुत्री
	(छात्र / छात्रा का नाम) निवासी
	शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि –
	मैं अपने पुत्र/पुत्री को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर उ०प्रo में एम०बी०बी० एस० प्रथम वर्ष च 2025—26) में प्रवेश करवा रहा / रही हूं।
मह मह हर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर उ०प्र० के कॉलेज काउंसिल समिति एवं अनुशासन समिति द्वार हाविद्यालय में व्यवस्था बनाए रखने एवं अनुशासन स्थापित किए जाने संबंधी लिए गए निर्णय तथा चिकित्स हाविद्यालय से संबंधित किसी भी निर्णय एवं मामले में मेरे पुत्र / पुत्री के द्वारा किसी भी प्रकार क तक्षेप / दखल–अंदाजी नहीं किया जाएगा। संस्थान द्वारा संस्था हित में लिए गए निर्णय को सशर्त स्वीकार करते हुए एवं मेरे पुत्र / पुत्री के द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
3.	संस्था द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
	हस्ताक्षर अभिभावक
	॥ सत्यापनकर्ता ॥
मैं.	(अभिभावक) पिता/पति श्री(अभिभावक) विता/पति श्री
नि	वासीसत्यापित करता ह
	<sup>:</sup> उपरोक्त शपथ पत्र के कंडिका क्रमांक – 01 से 03 के कथन मेरे द्वारा पूर्ण रूप से पढ़कर समझकर अपना हस्ताक्षन : आज दिनांक
٦,	र जाल । बतायः

सत्यापनकर्ता

## **Gap Affidavit**

स्वशा	ाचार्य, सी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ागर उ0प्र0।
शपथ पत्र द्वार	ापुत्र/ पुत्री / पत्नी / श्री/
मा० सौ०	तहसीलतहसील
जिला	के स्थायी निवासी है।
दफा—1—	मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ।
दफा—2—	मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि सन्सेसेसन् तक किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी या किसी उपक्रम में नौकरी नही किया हू घर पर रहकर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कही भी अन्य संस्था में ना तो पढाई किया और न तो नौकरी किया है।
दफा–3–	मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थिनी सन् 2025 ई० सत्र 2025—26 में आपकी संस्था स्वशासी राज्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर (उ०प्र०) में प्रवेश लेना चाहता / चाहती है प्रार्थी/प्रार्थिनी को अनुमति प्रदान करने हेतु नोटरी शपथ पत्र दे रही हूँ ।
दफा–4–	मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त हलफनामा में कुल मजमून मेरे इल्म व ज्ञान में सच व सही है कोई बात छिपाई नही गयी है न तो झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करें।
	हस्ताक्षर
	हस्ताक्षर

#### **Service Bond**

# AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO MBBS COURSE SESSION 2025-26 THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE KUSHINAGAR, ON THIS DAY......OF BETWEEN.

NAME:	•
S/O, D/O, W/O:	
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS):	•••
(TEMPORARY ADDRESS):	••
MOBILE NO:	
E-mail ID:	•••
AADHAR NO:	
Here in after referred to as ("FIRST PARTY") of the one part	
AND	

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to MBBS course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than **Two years** after successful completion of the MBBS course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of **Two year** the FIRST PARTY shall forth with pay a sum of **Rs.10 Lacs** for degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid stipend and the Government will request their services within a period of **three months** from the date of successful completion of the MBBS course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the MBBS course his/her certificates relating to MBBS course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of **Two years** or pay to the Government on demand the sum of **Rs.10 Lacs (Ten Lacs) only**.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY...... employed as.....granted stipend to him/her for a period of 24 months with effect from.......College AND WHERE AS if the FIRST PARTY.......Works for a period of less than 24 months during the Post Graduate Degree, the proportionate amount will stipend be treated as and the **FIRST** back addition PARTY.....shall pav in to the security Rs.....(Rupees Only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

#### NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-

1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of **Two year** on successful completion of the Graduate Degree MBBS. If the FIRSTPARTY fails to serve the Government for a period of **Two year**, FIRSTPARTY shall pay forthwith a sum of Rs. 10 Lacs (Rupees Ten Lacs Only) to the Government in the specified Government Treasury.

- 2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the period of **Two year** service to the Government or till the payment of Rs. **10 Lacs** Rupees Ten Lacs only is paid the certificates relating to Graduate Degree MBBS course shall be in the custody of the Concerned **Institution/University/College** and the Government have a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
- **3-** The FIRST PARTY authorizes the Concerned **Institution/University/College** for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/ discharged.
- **4-** This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
- 5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
- **6-** The FIRST PARTY shall bear the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

	behalf of PARTY	For and Behalf of Governor		
(	)	(	)	
Witnesses:-	(1) :			
	(2) :			

#### **Undertaking**

सेवा में,				
प्रधाना				
स्वशास कुशीनग		ज्य चिकित्सा महाविद्यालय		
3/211/17	1	50401	दिनांक:	
महोदय,				
मैं			पुत्र/पुत्री	
ऑल इण्डिया	रैंक.	नीट रोल नं0	आज आपके कालेज में प्रवेश लेन्	ने हेतु प्रस्त <u>ु</u> त
हुआ / हुई किन्तु	मैं	निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा :	होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा / रर्ह	। हूँ। मैं निम्न
प्रमाण पत्र 07	दिन	के अन्दर जमा कर दूंगा ⁄ दूंगी। यदि मैं	ऐसा करने में असमर्थ होता ∕ होती हूँ , त	। मेरा प्रवेश
निरस्त कर दिय	ा ज	rए। जिसकी / जिसका मै स्वंय जिम्मेदा	र हूँगा / हूँगी। ईश्वर मेरी मदद करें।	
प्रमाण पत्र:-				
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
माता / पिता का	ा ना	म	छात्र / छात्रा का नाम	
हस्ताक्षर माता	/ पि	ता	हस्ताक्षर छात्र / छात्रा	